सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, विशालखंड, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय
लखनऊ

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला शिक्षा परियोजना समिति
समस्त जनपद, उ0प्र0

पत्रांकः वा0का0यो0एवं बजट/ 4427 /2011–12 दिनांकः 01/12/2011 ~~नवम्बर, 2011~~

विषयः वर्ष 2012–13 की सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2012–13 की सर्व शिक्षा अभियान की जनपदवार वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना जनपदों में करायी जा रही है। इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके है प्रत्येक जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उनकी टीम को राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आप जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष हैं तथा जनपद की आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सम्पन्न की जानी है। आपकी सुविधा हेतु आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 की संरचना के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण इस प्रकार से किया जाना है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के समयबद्ध प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के रिवाइज्ड फ्रेमवर्क में दिये गये मानकों के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान किया जाना है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित बाध्यकारी प्रावधानों की पूर्ति 31.03.2013 तक सुनिश्चित किया जाना है और तद्नुसार वर्ष 2012–13 अन्तिम वर्ष होगा। अतः जनपद की वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

3. वर्ष 2011–12 में लगभग सभी पात्र बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके उपरान्त भी यदि कुछ ऐसी बस्ती है जो आबादी तथा दूरी का मानक पूरा करती हैं और वर्ष 2011–12 में सम्मिलित नहीं की जा सकीं है तो ऐसी बस्तियों के समुचित परीक्षण एवं सत्यापन के आधार नवीन विद्यालय प्रस्तावित किये जा सकते है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त बस्तियां वर्ष 2011–12 के प्लान में सम्मिलित न किये जाने का कारण भी स्पष्ट किया जाना होगा ताकि औचित्य के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सके।
4. विद्यालयों में अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता तथा विभिन्न अवस्थापना सुविधा जैसे अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय, पेयजल की सुविधा, चहारदीवारी/ग्रीन फेन्सिंग, रैम्पस, पुस्तकालय आदि की आवश्यकता विद्यालयवार ज्ञात करने हेतु स्कूल मैपिंग अवश्य करायी जाये और तद्नुसार उनकी शतप्रतिशत पूर्ति हेतु प्रावधान प्रस्तावित किया जाये। इस संबंध में विद्यालयवार उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं की सूचना एकत्रित किये जाने हेतु प्रारूप संलग्न है।
5. जिन विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है उनका विद्यालयवार आगणन तैयार कर लिया जाये और तद्नुसार प्रस्ताव सम्मिलित किया जाये।
6. भवनहीन विद्यालय अथवा ऐसे जर्जर विद्यालय जो प्रयोग हेतु निष्प्रयोज्य घोषित हो, उनके निर्माण हेतु प्रावधान रखा जाये।
7. निर्माण कार्य की 33% सीमा के अन्तर्गत जनपद के सभी निर्माण कार्यों की पूर्ति होने के पश्चात यदि धनराशि बच रही हो तो विद्यालयों में बच्चों के लिये Child friendly elements तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये Disabled Friendly Toilets हेतु प्रावधान रखा जा सकता है।
8. जिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन लगभग 100 है उनमें 50 बालिकाओं की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने हेतु निर्माण कार्य तथा अन्य सामग्री का प्राविधान प्रस्तावित किया जाये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण तथा बालिकाओं के लिये फर्नीचर हेतु प्रस्ताव भी रखा जाये।
9. एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिये जूडो/कराटे के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित की जाये।
10. बिखरी हुयी बस्तियां, जो नवीन विद्यालयों हेतु मानक पूरा नहीं करती हैं अथवा नवीन विद्यालयों की स्थापना व्यावहारिक नहीं है, उनमें तथा नगर क्षेत्र में बेघर बच्चों (Homeless) की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मानकों के अनुरूप आवासीय विद्यालय की व्यवस्था प्रस्तावित की जा सकती है।
11. आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उसी गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में की जानी है। इस हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बच्चों के लिये लर्निंग मैटीरियल का प्रावधान रखा जाना होगा।
12. कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिये गये हैं और अध्यापकों को प्रशिक्षण

दिया गया। उत्तर प्रदेश में आगामी सत्र से उच्च प्राथमिक स्तर पर एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्य पुस्तकें लागू किया जाना प्रस्तावित है और तद्नुसार इस कार्यक्रम से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की विषय वस्तु से सम्बन्धित सी0डी0 उपलब्ध कराया जाना होगा। इसके अतिरिक्त कम्पयूटर्स के बीमा हेतु प्रावधान भी रखा जाये।

13. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों तथा निःशुल्क यूनीफार्म हेतु अनुमन्य श्रेणी के बच्चों के लिये प्रावधान रखा जाये। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा–1 के 25% बच्चों के लिये भी प्रावधान सम्मिलित किया जाये जो अलाभित समूह एवं कमजोर वर्गों के परिवारों के हैं।
14. जिन बच्चों को मानक के अनुसार निर्धारित दूरी अर्थात 1 किमी अथवा 3 किमी के अन्तर्गत विद्यालय उपलब्ध नहीं है उन बच्चों के लिये ट्रांसपोर्टेशन सुविधा/अनुदान प्रस्तावित किया जाये।
15. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, लर्निंग मैटीरियल, पाठ्य पुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के रख रखाव आदि हेतु प्रावधान रखा जाये।
16. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना में अद्यतन एवं विश्वसनीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है ताकि प्लानों का परीक्षण भारत सरकार स्तर पर सुगमता पूर्वक हो सके।
17. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त Home based Education हेतु प्रावधान रखा जाये।

उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना समयबद्ध रूप से दिनांक 15.01.2012 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

विद्यालयवार संसाधनों का विवरण एवं आवश्यकता (प्राथमिक विद्यालय)

जनपद का नाम–

क्र0सं0	ब्लाक/नगर क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	बच्चों की नामांकन संख्या	आर0टी0ई0 मानक के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की कुल आवश्यकता	कार्यरत शिक्षकों की संख्या			अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता कालम (5–8) के अनुसार	आर0टी0ई0 मानक के अनुसार विद्यालय में कक्षा–कक्षों की कुल आवश्यकता	विद्यालय में उपलब्ध कुल कक्षा–कक्षों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता कालम (10–11) के अनुसार	अतिरिक्त कक्षा–कक्षों हेतु विद्यालय में भूमि की उपलब्धता	
					शिक्षक	शिक्षामित्र	योग					हाँ	नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालयवार संसाधनों का विवरण एवं आवश्यकता (प्राथमिक विद्यालय)

जनपद का नाम–

क0सं0	ब्लाक / नगर क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	चहारदीवारी की उपलब्धता		पेयजल की उपलब्धता		रैम्प की उपलब्धता		बालक शौचालय की उपलब्धता		बालिका शौचालय की उपलब्धता		लाईब्रेरी की उपलब्धता		किचेन शेड की उपलब्धता		खेल के मैदान की उपलब्धता	
			हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

विद्यालयवार संसाधनों का विवरण एवं आवश्यकता (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जनपद का नाम–

क0सं0	ब्लाक / नगर क्षेत्र	विद्यालय का नाम	बच्चों का नामांकन	आर0टी0ई0 मानक के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की कुल आवश्यकता	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता कालम (5–6) के अनुसार	आर0टी0ई0 मानक के अनुसार विद्यालय में कक्षा–कक्षों की कुल आवश्यकता	विद्यालय में उपलब्ध कुल कक्षा–कक्षों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता कालम (8–9) के अनुसार	अतिरिक्त कक्षा–कक्षों हेतु विद्यालय में भूमि की उपलब्धता		चहारदीवारी की उपलब्धता	
										हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालयवार संसाधनों का विवरण एवं आवश्यकता (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जनपद का नाम–

क0सं0	ब्लाक / नगर क्षेत्र	विद्यालय का नाम	पेयजल की उपलब्धता		रैम्प की उपलब्धता		बालक शौचालय की उपलब्धता		बालिका शौचालय की उपलब्धता		लाईब्रेरी की उपलब्धता		किचेन शेड की उपलब्धता		खेल के मैदान की उपलब्धता	
			हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28